

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग


क्रमांक: प.1(1)वित्त/राजस्व/2018

जयपुर, दिनांक:- 23 JAN 2019

आदेश


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा एवं पेंशन) द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग का प्रशासनिक कार्य सम्पादित किया जाता है। प्रशासनिक सुगमता के लिये संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा एवं पेंशन) द्वारा सम्पादित कार्यों में से पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग का प्रशासनिक कार्य भविष्य में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-11) विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, भा.मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट)।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. संबंधित अधिकारी।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव